संख्या-74/2024/1235/छप्पन-2024-43/2015-56-1002/11/2019

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 28 अगस्त, 2024

विषय: राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109एस वी0टी0-यू0पी0एल0 हेतु Electronic Display Unit (EDU) एक्सचेंज के आधार पर M/s. Leonardo Malaysia Sdn Bhd, Malaysia से क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1778/ना0उ0नि0/इंजी/यू0पी0एल0/08-आई/2024 दिनांक 22 जुलाई, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासकीय कार्य हित में AOG के आधार पर M/s. Leonardo Malaysia से राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109 एस वी०टी० यू०पी०एल० हेतु Electronic Display Unit (EDU) Qty:01 को Exchange के अधार पर क्रय करने पर कुल USD 75368.70 जोकि भारतीय मुद्रा में रू० 85/- प्रति यू०एस० डालर की विनिमय दर से रू० 64,06,339.50 अर्थात् कुल रु० 64,06,340.00 (रूपये चौसठ लाख छ: हजार तीन सौ चालीस मात्र) होता है, के व्यय की प्रशासकीय, वित्तीय स्वीकृति एवं स्वीकृति की प्रत्याशा में क्रयादेश निर्गत किये जाने की स्वीकृति एवं खराब यूनिट को फर्म को वापस भेजने की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र में किए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109एस वी०टी०-यू०पी०एल० के Electronic Display Unit (EDU) को एक्सचेंज के आधार पर M/s. Leonardo Malaysia Sdn Bhd, Malaysia से क्रय किए जाने के निमित्त होने वाले व्यय USD 75368.70 जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 85/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रू0 64,06,339.50 अर्थात् कुल रू0 64,06,340/- (रूपये चौसठ लाख छ: हजार तीन सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा बिल बेसिस पर भुगतान किये जाने की स्वीकृति एवं फर्म को क्रयादेश निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान करने एवं हेलीकाप्टर से निकाले गये खराब यूनिट को फर्म को वापस भेजने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
2- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या:74/2024/1235(1)/छप्पन-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in